

प्रेषक,

अबुल केश,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या 15, हरदोई।

सेवा में,

श्रीमान् महा-निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद,
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान् जनपद न्यायाधीश,
हरदोई।

विषय:- आवास क्रय किये जाने की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मुझे आवास हेतु भूमि क्रय करने के लिये अनुमति प्रदान की गयी थी परन्तु विवाद होने के कारण उक्त भूमि में क्रय नहीं कर सका, जिसकी सूचना मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित की गयी थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा केस आई०डी० संख्या S00020602022 में मुझे आवास क्रय करने की अनुमति प्रदान की गयी है जिसके अनुक्रम में मैंने लखनऊ में एक आवास क्रय किया है। विक्रय पत्र की प्रति माननीय महोदय के अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सादर।

दिनांक:- 12.07.2022

भवदीय,



(अबुल केश)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या 15, हरदोई।